GCMS - 2024/389

APP-A

Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** कोटा

सरकार **बनाम** मोहनलाल

किस्म मुकदमा 136 c.R **नं.** 40 **सन्** 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/24	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 28/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	
28/11/24	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने निवेदन किया है कि ग्राम नांदना उर्फ बड़गांव के नामांतरण संख्या 1037 दिनांक 29.10.2024 समर्पण के खसरा नंबर 559 पर मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर सिवायचक खाता सरकार खसरा नंबर 1253/559 रकबा 0.0650 गै0 मुमकिन रास्ता व मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ खसरा नं0 1254/559 रकबा 0.0650 दर्ज किया जाना था। किंतु वर्तमान जमाबंदी के नक्शे में ऑनलाइन तरमीम में खसरा नंबर 1253/559 के स्थान पर 1254/559 एवं खसरा नंबर 1254/559 के स्थान पर 1253/559 तरमीम हो गई। ऑनलाइन जमाबंदी के नक्शे में ऑनलाइन तरमीम में खसरा नंबर 1254/559 के स्थान पर 1253/559 एवं खसरा नंबर 1253/559 के स्थान पर 1254/559 दर्ज किया जाना उचित है। यहां यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन तरमीम प्रक्रिया द्वारा गलत तरमीम का इंद्राज हुआ है। अतः निवेदन है कि खाता संख्या 162 में उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त करने की निर्देश प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है ऑनलाइन जमाबंदी के नक्शे में ऑनलाइन तरमीम में खसरा नंबर 1254/559 के स्थान पर 1253/559 एवं खसरा नंबर 1253/559 के स्थान पर 1254/559 दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम नांदना उर्फ बड़गांव के ऑनलाइन जमाबंदी के नक्शे में ऑनलाइन तरमीम में खसरा नंबर 1254/559 के स्थान पर 1253/559 एवं खसरा नंबर 1253/559 के स्थान पर 1254/559 दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी कोटा गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	